

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2024/

दिनांक

## प्रार्थीगण :-

1.मुकनगिरी 2.उदगिरी 3.कानगिरी 4.प्रभूगिरी  
5.नेमगिरी पि. मोहनगिरी 6.मथरीदेवी पत्नि  
मोहनगिरी, जाति स्वामी, निवासी खीचड़ों की  
ढाणी, जैसार, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

## विप्रार्थीगण:-

1.हीराराम पुत्र पूराराम, निवासी गडरा 2.हिमथाराम पुत्र  
पूराराम, निवासी लखासर 3.नरसिंगाराम पुत्र पूराराम, निवासी  
रतासर डेर, 4.भूपेन्द्रसिंह 5.रूपों पि.ईशराराम 6.गेरों पत्नि  
ईशराराम, निवासी रतासर डेर 7.ईमामत पत्नि अरबाब, जाति  
मुसलमान, निवासी खीचड़ों की ढाणी 8.मीरों पत्नि ताजाराम  
9.रतनाराम पुत्र ताजाराम 10.जोगाराम 11.कंवराराम  
12.जसराज पि.बांकाराम 13.मानी पत्नि बांकाराम  
14.अचलाराम पुत्र केसराराम, जाति जाट, निवासी  
जयरामदेरिया (जैसार), तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम

वास्ते करने नेखमबंदी बाबत |

राजस्व आवेदन सं. 121/2022

दिनांक : 22.02.2024

## आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र जैसार के मौजा खीचड़ो की ढाणी के खेत खसरा सं. 73 रकबा 13.13 बीघा एवं मौजा जयरामदेरिया के खसरा सं. 220 रकबा 09.08 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई विन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2024/ 504 to 507

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थी मुकनगिरी वगैरा
3. विप्रार्थीगण हीराराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धौरीमन्ना/धनाऊ

उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
चौहटन ok

दिनांक 22/02/2024



(सूरजभान विश्नोई)

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी

चौहटन